लोक शिक्षण संचालनालय म. प्र.

क्रमांक /लो.शि./बजट/2018–19/97 भोपाल, दिनांक 11-6-2018

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण म.प्र.
2. समस्त, जिला शिक्षा अधिकारी म. प्र.
3. समस्त संयुक्त संचालक विधि प्रकोष्ठ
4. योग विभागाध्यक्ष, भोपाल
5. जीवाजी वेधशाला उज्जैन म.प्र. ।
6. शासकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय शिवपुरी (म.प्र.) ।

विषय : महालेखाकार ग्वालियर म. प्र. के आंकडों/लेखे से मिलान करने के लिये नोडल अधिकारी बनाये जाने विषयक।

संदर्भः संचालनालय का पत्र क्रमांक/बजट/2018–19/69 दिनांक 25.05.2018।

.–:00:–.

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्र का अवलोकन करे। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली द्वारा राज्य के आय/व्यय के आंकडों का अंकमिलान कार्य को प्राथमिकता के आधार पर शत प्रतिशत पूर्ण कराने के निर्देश दिये है तथा इसे अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) मध्य प्रदेश शासन भोपाल के ध्यान में लाया गया है ।

इस संबंध में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम म. प्र. ग्वालियर के सभाकक्षा में दिनांक 21.5.2018 को आयोजित बैठक में उपमहालेखाकार (लेखा एवं व्ही.एल.सी.) ने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुय कहा कि प्रायः यह देखा गया है कि अंकमिलान कार्य को गम्भीरता से नही लिया जाता है तथा उक्त कार्य के लिये ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों को भेजा जाता है जिन्हें लेखान्कन का उचित ज्ञान नहीं होता है ।

संदर्भित पत्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के आकाड़ों का मिलान कार्य दिनांक 31.05.2018 तक अनिवार्यतः पूर्ण करने के निर्देश दिए गये थे। एवं प्रतिवेदन संयुक्त संचालक (वित्त) प्रेषित करने का लेख किया गया था। जो आज पर्यन्त आपकी ओर से अप्राप्त है। अतः तत्काल चाहा गया प्रतिवेदन संचालनालय को भेजे विलंब का उत्तरदायित्व आपका होगा।

(संजय कुमार)
संयुक्त संचालक (वित्त)
लोक शिक्षण म.प्र.

क्रमांक /लो.शि./बजट/2018–19/98 भोपाल, दिनांक 11-6-2018

प्रतिलिपि :

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
2. सचिव, म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

संयुक्त संचालक (वित्त)
लोक शिक्षण म.प्र.